न्यायालय उपजिला कलैक्टर,अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— मनमोहन मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः— 03/2019

रामप्रताप पुत्र श्री सुरजाराम जाति नायक उम्र 46 वर्ष निवासी वार्ड नं0 8 अनूपगढ़ हाल आन्नद विहार गली नं0 4 श्रीगंगानगर जिला श्रीगंगानगर (राज.)

——— प्रार्थी

बनाम

1. प्रमिला देवी पत्नी दलवीर सिंह जाति चमार निवासी वार्ड नं0 3 नहर के पास, अनूपगढ़ तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

दिनांक —: 30/08/2019

निर्णय

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये वकील पवन कुमार चुघ उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट के तहत रास्ता खेत स्वीकृत करने हेतु पेश कर निवेदन किया है कि चक 88 जीबी तहसील अनूपगढ का पत्थर नं0 303/433 मु0नं0 57 के किला नं0 2ता5 प्रत्येक सालम, 8/1 का 0.139, 9ता12 प्रत्येक सालम व किला नं0 13/1 का 0.127 हैक्टर कुल 2.290 हैक्टर नाली दोयम प्रार्थी के नाम से राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। यह कि अप्रार्थीया संख्या 01 के नाम से इसी चक 88 जीबी का मुरब्बा नं0 56 पत्थर नं0 302/433 के किला नं0 1/1 से 13 व 21ता25 में 4.248 हैक्टर नाली दोयम खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। चूंकि प्रार्थी की कृषि भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता स्वीकृतशुदा नही है इसलिए प्रार्थी ने अपनी उक्त कृषि भूमि मे आने जाने के लिए अप्रार्थीया संख्या 01 की उक्त कृषि भूमि के किला नं0 1ता5 प्रत्येक में चल रहे 1—1 बिस्वा रास्ता जो पिछले 20—25 वर्षो से निबार्ध रूप से चला आ रहा है, जो रास्ता निरन्तर मौका पर चालू है, को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी के पास उपरोक्त रास्ता के अलावा अपनी कृषि भूमि के अवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता सुगम व सुविधाजनक नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीया से कई बार रास्ता स्वीकृत करने का आग्रह किया लेकिन आज से असों [illegible] रोज पूर्व अप्रार्थी ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। अतः प्रार्थी को [illegible] आने जाने के लिए अप्रार्थीया के कृषि भूमि [illegible] बी का मुरब्बा नं0 56 पत्थर नं0 302/433 के किला नं0 1ता5 प्र[illegible]क में 1—1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाकर रास्ता का रिकार्ड में अंकन करने के आदेश प्रदान किये जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीया को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की तरफ से अधिवक्ता श्री इन्द्राज कस्वा व श्री राजेन्द्र सिंह उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा केवल अप्रार्थीया को तंग परेशान के उदेदश्य से ही उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि मे आने जाने के लिए पहले से ही एक कच्चा रास्ता मु0नं0 58 के किला नं0 1ता5 में है ऐसी स्थिति में प्रार्थी धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी प्रकार से रास्ता की मांग नही कर सकता है क्योंकि प्रार्थी के पास अन्य रास्ता आवागमन के लिए उपलब्ध है, जो कि सुगम एंव सरल है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र काबिले खारिज है।

तहसीलदार अनूपगढ़ की ओर से उपरोक्त रास्ता स्वीकृत हेतु प्रस्ताव चाहा गया जो प्राप्त होने पर शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ से प्रस्ताव अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि मे आने जाने के लिए पूर्व से ही एक कच्चा रास्ता मु0नं0 58 के किला नं0 1ता5 मे है चूंकि मु00 57 का खातेदार स्वंय काश्त न करके मु0नं0 58 के खातेदार को अपनी भूमि ठेका प्रथा पर दे रखी है जो कि अपनी भूमि मे से करीबन 8 फुट के रास्ते का उपयोग कर रहा है। धारा 251 के तहत प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य छोटा रास्ता नही दिया जा सकता है। पूर्व में प्रस्तावित रास्ता (मु0नं0 56 मे से) चालू नही था और ना ही वर्तमान में है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी एंव अप्रार्थीया के कथनो पर मनन करने के पश्चात तहसीलदार अनूपगढ़ की रिपोर्ट एंवम भू0अ0निरीक्षक बाण्डा कालोनी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अनूपगढ़ द्वारा प्रस्तुत रास्ता स्वीकृत हेतु जांच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि **प्रार्थी को वर्तमान में आने जाने हेतु मुताबिक राजस्व रिकार्ड कोई चालू रास्ता उपलब्ध नही है। मुरब्बा नं0 56 के पूर्व दिशा में चिपता हुआ चालू रास्ता है जो रिकार्ड मे कटा है, से प्रार्थी अपने मुरब्बा नं0 57 में आना जाना चाहता है।** प्रस्तावित रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता नही दिया जा सकता है। प्रार्थी को अपने कृषि भूमि मे आने जाने के लिए प्रस्तावित रास्ता सुगम व सरल है।

एक रिकार्डेड खातेदार अन्य रिकार्डेड खातेदारी की भूमि मे से अपने खेत मे आने जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने का पूर्ण हकदार है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित भूमि का खातेदार है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत इस न्यायालय को किसी भी टीनेन्ट को अपने खेत में आने जाने के लिये अन्य टीनेन्ट की भूमि में से रास्ता स्वीकृत करने की शक्तिया प्राप्त है। उक्त तथ्यो के मध्य नजर रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

::आदेश ::

उपरोक्त विवेचन के आधार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए के तहत इस न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाके चक 88 जीबी का मुरब्बा नं0 56 पत्थर नं0 302/433 के किला नं0 1ता5 प्रत्येक मे 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त रास्ता की एवज में आयी भूमि के बदले में प्रार्थी से उंक्त चक की वर्तमान डीएलसी दर का दो गुणा राशि जमा करवाने व अप्रार्थीया संख्या 1 को भुगतान करने के आदेश अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार अनूपगढ़ को दिये जाते है। राशि जमा होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार अनूपगढ़ रास्ते का रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2019 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(मनमोहन मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Pawan Kumar
Date: 2021.01.12 12:03:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner